पत्रांक 114 /आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2010–11/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
**( धारा–57, अनुभाग )**
दिनांक:: देहरादून:29अप्रैल, 2010

प्रार्थना पत्र सं0 – 9228/6–2–2010
सर्वश्री एस0के0ट्रेडर्स,
रीठा मण्डी, देहरादून।
निर्णय का दिनांक– अप्रैल 2010,
फर्म की ओर से उपस्थित– कोई उपस्थित नही हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री एस0के0ट्रेडर्स, रीठा मण्डी, देहरादून के द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये "coco care " नामक उत्पाद जो कि नारियल तेल है को Edible oil की भांति करयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया।

2. प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दु पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग से विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। उनके द्वारा लिखित रूप में विभागीय पक्ष प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि नारियल का तेल( coconut oil) वस्तुतः hair oil की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। जिसकी प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर करदेयता 12.5 % है। करारोपण के उद्देश्य से यह तय करने के लिए कि वस्तु विशेष किस Category में करयोग्य होगी, यह देखा जाना भी आवश्यक है कि common parlance में उस वस्तु का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सर्वश्री बॉम्बे ऑयल इण्ड0 प्रा0लि0, कानपुर बनाम कमिश्नर ट्रेड टैक्स उ0प्र0 के मामले में दिये गये निर्णय दिनांक 11–9–2008 तथा मा0उच्च न्यायालय उडीसा द्वारा सर्वश्री शालीमार कैमिकल वर्क्स लि0 बनाम उडीसा राज्य व अन्य (2010) 28 VST 52 (उडीसा) में प्रतिपादित सिद्वान्त का उल्लेख किया गया है।

3. आवेदन कर्त्ता को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया, लेकिन सुनवाई की निर्धारित तिथि को उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही अपने पक्ष के समर्थन में कोई लिखित उत्तर दाखिल किया गया।

4. मेरे द्वारा मेरे द्वारा अभिलेख देखे गये तथा विभागीय मत का अवलोकन किया गया। "coconut Oil " को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्गीकृत नही किया गया है तथा अधिनियम की अनुसूची–2(ख) के कमांक 43 पर " Edible oil " को रखते हुये 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी। जहॉ तक coconut Oil को Edible oil मानने का प्रश्न है इस सबंध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सर्व श्री बॉम्बे ऑयल इण्ड0प्रा0लि0,कानपुर बनाम कमिश्नर व्यापार उ0 प्र0–2008, NTN(Vol-38)-82 के मामले में coconut Oil को हेयर ऑयल माना गया है। उक्त वाद में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न मत व्यक्त किया गयाः–

"Taking into consideration the priniple delineated above applicable to the interpretation of entries in fiscal statute, parachute coconut oil is liable to be classified and taxed under the entry of cosmetic and toilet requsites of all kinds. It is being represented by the dealer as hair oil through advertisement and writing on the packing to the public. A judicial notice can be taken that the edible oil is not sold in a small packing of 200 or 500 ml. It is also relevant that the product in question has been sold much above the prevailing price of the edible oil. The product is being meant for application on hair to make them dark and long. Invoking the principle of common parlance and the usability of the product, in my opinion, it would be appropriate to tax the product in the category of 'all kinds of cosmetics and toilet requisites' being hair oil.

एक अन्य मामले में मा0 उच्च न्यायालय उडीसा द्वारा सर्वश्री शालीमार केमिकल वर्क्स लि0, बनाम स्टेट आफ उडीसा एवं अन्य (2010)–28 VST 52 (उडीसा) के वाद में निम्न मत प्रतिपादित किया गयाः–

पृ0–2

"we are of the considered view that like the State of West Bengal in the State of Orissa, "coconut oil" is not generally used as medium of "cooking oil" but it is widely used as "hair oil" and therefore, we are in complete agreement with the views expressed by the West Bengal Taxation Tribunal in the case of Shalimar Chemical Works Limited [2008] 12 VST 485 (WBTT).

इस प्रकार उक्त दोनों ही निर्णयों के अनुसार coconut Oil को हेयर ऑयल की श्रेणी के अन्तर्गत माना गया है। इस सबंध में कृष्णा कार्वन पेपर क0 बनाम CCE(AIR 1988 SC- 2223 के मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न मत प्रतिपादित किया गया:–

"Consumers understanding of the expressions used in legislation relating to them is also an input in judicial construction. Emphasis has been laid in construing entries of goods in Excise, Customs, Octroi or Sales Tax Act. Resort should normally be had not to the scientific or technical meaning but to their popular meaning i.e. the meaning attached to the expressions used by those dealing in them."

उपरोक्त निर्णय सारों से से यह स्पष्ट हो जाता है कि "coconut Oil" का उपयोग राज्य में सामान्य रूप से खाद्य तेल के रुप में न होकर हेयर ऑयल के रुप में होता है। हेयर ऑयल को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्गीकृत वस्तुओं की सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः व्यापारी द्वारा उत्पादित अथवा बिक्रीत वस्तु "coco care" जो कि वस्तुतः "coconut Oil" नही है, बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर RNR अर्थात 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगी। इस प्रकार व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

निर्णय की प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं व्यापारी को पंजीकृत डाक से भेजी जाय।

(वी0के0सक्सेना) 8/04/2010
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

**पृ0प0सं0 1151 /दिनांक उक्त।**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
3. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अघ्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
7. सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
9. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
10. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
14. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
15. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

8.04.2010
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।